2021(2)

एलएलआर. पंजाब और हरियाणा

अनिल क्षेत्रपाल से पहले जे.

शिनू गुप्ता और अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

केंद्र शासित प्रदेश और अन्य-प्रतिवादी

2021 का सीडब्ल्यूपी नंबर 10285

7 जून 2021

भारत का संविधान, 1950 कला. 226 रिट याचिका परमादेश - अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने की मांग तथ्यों पर, यह स्पष्ट नहीं है कि क्या याचिकाकर्ताओं को आवेदन आमंत्रित करने और आवेदकों के बीच किसी प्रकार के चयन के बाद नियुक्त किया गया था - माना गया, उमादेवी मामले (2006) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर याचिकाकर्ताओं की निर्भरता) 4 एससीसी 1 और शेओ नारायण नगर मामला (2018) 13 एससीसी 432 गलत था - उमादेवी मामले में न्यायालय ने राय दी कि अस्थायी / दैनिक वेतनभोगियों की सेवाओं को नियमित करने के निर्देश आमतौर पर जारी नहीं किए जाने चाहिए - वे किसी भी वैध अपेक्षा का दावा नहीं कर सकते हैं न्यायालय ने कहा ऐसे कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए नीति बनाने के लिए अपवाद जो 10 वर्षों से अधिक समय से स्वीकृत पदों के विरुद्ध काम कर रहे थे - याचिकाकर्ताओं में से कोई भी उस श्रेणी में शामिल नहीं था - उन्होंने निर्णय की तिथि पर 10 साल की सेवा पूरी नहीं की थी, लगभग सभी थे बाद में नियुक्तियां - शिव नारायण नगर मामला भी पूरी तरह से अलग तथ्यों पर था, क्योंकि याचिकाकर्ता की सगाई 1993 में हुई थी और उच्च न्यायालय ने 1999 में उसकी सेवाओं को नियमित करने के निर्देश जारी किए थे - इसलिए, उसे पैराग्राफ 53 में निर्धारित आवश्यकता को पूरा करने वाला माना गया। उमादेवी मामले की - रिट याचिका तत्काल खारिज कर दी गई।

यह माना गया कि, सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने दिनांक 10.04.2006 के फैसले में यह नोट किया कि अदालतें नियमितीकरण के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत निर्देश जारी कर रही हैं। अस्थायी/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की राय है कि ऐसे निर्देश आमतौर पर जारी नहीं किए जाने चाहिए। न्यायालय ने देखा कि अस्थायी/दैनिक वेतनभोगी किसी भी वैध अपेक्षा का दावा नहीं कर सकते। अनुच्छेद 53 में, न्यायालयों ने यह देखने के बाद कि कुछ कर्मचारी 10 वर्षों से अधिक समय तक बने रह सकते हैं, एक बार के उपाय के रूप में एक अपवाद बनाया। यह माना गया कि केंद्र या राज्य सरकारें उन कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए एक बार के उपाय के रूप में नीति बनाने पर विचार कर सकती हैं जो स्वीकृत पदों के विरुद्ध 10 वर्षों से अधिक समय से काम कर रहे थे। वर्तमान मामले में, केवल

शिनू गुप्ता और अन्य बनाम केंद्र शासित प्रदेश और अन्य (अनिल क्षेत्रपाल, जे.)

एक याचिकाकर्ता को 22.03.2006 को नियुक्त किया गया था। शेष सभी याचिकाकर्ताओं को सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य (सुप्रा) में फैसले के बाद नियुक्त किया गया है। फैसले की तारीख तक गगनदीप ने 10 साल की सेवा भी पूरी नहीं की है। दरअसल, फैसले की तारीख तक उन्होंने संविदा सेवा का एक महीना भी पूरा नहीं किया था। इसलिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पैराग्राफ 53 में दिया गया अपवाद याचिकाकर्ताओं पर लागू नहीं होता है।

(6 के लिए)

इसके अलावा, यह भी माना गया कि, शिव नारायण नगर और अन्य (सुप्रा) में पारित फैसले को ध्यान से पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि उपरोक्त मामले में याचिकाकर्ता वर्ष 1993 में दैनिक वेतन के आधार पर कार्यरत था। वर्ष 1998 में उनकी नियुक्ति संविदा के आधार पर हुई थी. वर्ष 1999 में हाई कोर्ट ने उनकी सेवा नियमित करने का निर्देश जारी किया था. इन परिस्थितियों में, सुप्रीम कोर्ट ने यह देखने के बाद कि संबंधित कर्मचारी सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य (सुप्रा) के फैसले के पैराग्राफ 53 में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करता है, आवश्यक निर्देश जारी किए। मौजूदा मामले में तथ्य बिल्कुल अलग हैं। इसलिए, उपरोक्त निर्णय याचिकाकर्ताओं की मदद नहीं करता है।

(7 के लिए)

याचिकाकर्ताओं के वकील आदित्य चड्ढा के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता डी.एस.पटवालिया।

अनिल क्षेत्रपाल, जे. (मौखिक)

(1) इस रिट याचिका के माध्यम से, 20 रिट याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित निर्देश जारी करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार का आह्वान किया है: -

"(ए) एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करने के लिए, जिसमें परमादेश की प्रकृति में एक रिट शामिल है, जिसमें उत्तरदाताओं को विभिन्न प्रतिष्ठानों / विभाग / शाखाओं में काम करने वाले संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए एक नीति तैयार करने का निर्देश दिया गया है, जो इसके दायरे में आते हैं। प्रतिवादी नंबर 1.

(बी) यह भी प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करने की कृपा कर सकता है जिसमें सर्टिओरीरी रद्दीकरण विज्ञापन/भर्ती नोटिस दिनांक 26.03.2021 (पी-9) की सीमा तक एक रिट शामिल है। जहां क्लर्क के 41 पद, स्टेनो के 5 पद हैं

टाइपिस्ट के 2 पद, डेट एंट्री ऑपरेटर के 2 पद और अकाउंटेंट के 2 पद यानी जिन पदों पर यहां याचिकाकर्ता काम कर रहे हैं, उन्हें विज्ञापित किया गया है।

(सी) यह भी प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करने की कृपा कर सकता है जिसमें परमादेश की प्रकृति में एक रिट शामिल है जिसमें उत्तरदाताओं को इस तथ्य पर विचार करते हुए अपने संबंधित पदों पर याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को नियमित करने का निर्देश दिया जाएगा। कि वे 13-15 वर्ष से अधिक समय से अपने पदों पर कार्यरत हैं। प्रतिवादी संख्या 2 की अत्यधिक संतुष्टि के लिए वर्ष।"

(2) इस रिट याचिका को पढ़ने से यह स्पष्ट नहीं है कि 'क्या याचिकाकर्ताओं को कभी आवेदन आमंत्रित करने और उसके परिणामस्वरूप दूसरों को आवेदन करने और प्रतिस्पर्धा करने का अवसर देने के बाद नियुक्त किया गया था या नहीं? यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या याचिकाकर्ताओं को अन्य आवेदकों के बीच किसी प्रकार के चयन के बाद नियुक्त किया गया था या नहीं?

(3) रिट याचिका के पैराग्राफ 3 में याचिकाकर्ताओं द्वारा संकलित जानकारी निम्नानुसार निकाली गई है: -

नाम	पद का नाम	शामिल होने की तिथि
सुमित देवी	लिपिक	07/01/08
शीनू गुप्ता	स्टेनो टाइपिस्ट	03/01/08
रितु शर्मा	क्लर्क-सह-कंप्यूटर टाइपिस्ट	20.11.2007
दीक्षा मलिक	क्लर्क-सह-कंप्यूटर टाइपिस्ट	14.05.2008
सुमन बलाल	क्लर्क-सह-कंप्यूटर टाइपिस्ट	14.11.2007
पूनम शर्मा	लिपिक	10.04.2008
कविता देव		29.09.2009
सित्तल देवी	क्लर्क-सह-कंप्यूटर टाइपिस्ट	15.05.2008
रूपेश कुमार	क्लर्क-सह-कंप्यूटर टाइपिस्ट	27.06.2008
राकेश चंद	क्लर्क-सह-कंप्यूटर टाइपिस्ट	16.05.2008
किरण कुमारी	क्लर्क-सह-कंप्यूटर टाइपिस्ट	15.05.2008
रश्मि सैनी	लिपिक	13.11.2007
राकेश दुआ	मुनीम	19.11.2007
आशु गोयल	मुनीम	01.10.2009

मालती शर्मा	तथ्य दाखिला प्रचालक	12.05.05
राजन शर्मा	तथ्य दाखिला प्रचालक	25.09.2009
कपिल ठाकुर	लिपिक	09.04.08
परमिंदर सिंह	लिपिक	30.09.2009
गगन दीप	लिपिक	22.03.2006
संगीता रानी	क्लर्क-सह-कंप्यूटर टाइपिस्ट	19.10.2007

(4) याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील ने सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम उमादेवी और अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा पारित फैसले पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि एक निर्देश जारी किया जाना आवश्यक है। उत्तरदाताओं से 10 वर्ष से अधिक की अवधि से स्वीकृत पदों के विरुद्ध काम कर रहे संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए एक नीति बनाने की मांग की। वह शिव नारायण नगर और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के बाद के फैसले पर भी भरोसा करते हैं। आगे यह भी तर्क दिया गया है कि एक समय नगर निगम, चंडीगढ़ की एक समिति ने 28.07.2014 को हुई अपनी बैठक में नियमितीकरण के लिए कुछ शर्तें निर्धारित करके एक मसौदा नीति तैयार की थी। इसलिए उनका तर्क है कि रिट याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है।

(5) इस पीठ ने तर्कों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और अब, इसकी जांच के लिए आगे बढ़ें।

(6) सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने दिनांक 10.04.2006 के फैसले में यह नोट किया कि अदालतें नियमितीकरण के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत निर्देश जारी कर रही हैं। अस्थायी/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की राय है कि ऐसे निर्देश आमतौर पर जारी नहीं किए जाने चाहिए। न्यायालय ने देखा कि अस्थायी/दैनिक वेतनभोगी किसी भी वैध अपेक्षा का दावा नहीं कर सकते। अनुच्छेद 53 में, न्यायालयों ने यह देखने के बाद कि कुछ कर्मचारी 10 वर्षों से अधिक समय तक बने रह सकते हैं, एक बार के उपाय के रूप में एक अपवाद बनाया। यह माना गया कि केंद्र या राज्य सरकारें उन कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए एक बार के उपाय के रूप में नीति बनाने पर विचार कर सकती हैं जो स्वीकृत पदों के विरुद्ध 10 वर्षों से अधिक समय से काम कर रहे थे। वर्तमान मामले में,

---

[1](2006) 4 एससीसी 1,

[2](2018) 13 एससीसी 432

22.03.2006 को केवल एक याचिकाकर्ता को नियुक्त किया गया था। शेष सभी याचिकाकर्ताओं को सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य (सुप्रा) में फैसले के बाद नियुक्त किया गया है। फैसले की तारीख तक गगनदीप ने 10 साल की सेवा भी पूरी नहीं की है। दरअसल, फैसले की तारीख तक उन्होंने संविदा सेवा का एक महीना भी पूरा नहीं किया था। इसलिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पैराग्राफ 53 में दिया गया अपवाद याचिकाकर्ताओं पर लागू नहीं होता है।

(7) फिर भी, शिव नारायण नगर और अन्य (सुप्रा) में पारित फैसले को ध्यान से पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि उपरोक्त मामले में याचिकाकर्ता वर्ष 1993 में दैनिक वेतन के आधार पर लगा हुआ था। वर्ष 1998 में उनकी नियुक्ति संविदा के आधार पर हुई थी. वर्ष 1999 में हाई कोर्ट ने उनकी सेवा नियमित करने का निर्देश जारी किया था. इन परिस्थितियों में, सुप्रीम कोर्ट ने यह देखने के बाद कि संबंधित कर्मचारी सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य (सुप्रा) के फैसले के पैराग्राफ 53 में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करता है, आवश्यक निर्देश जारी किए। मौजूदा मामले में तथ्य बिल्कुल अलग हैं। इसलिए, उपरोक्त निर्णय याचिकाकर्ताओं की मदद नहीं करता है।

(8) विद्वान वकील 14.11.2019 को नगर निगम की सामान्य सदन की बैठक के कार्यवृत्त पर भरोसा करते हैं। यह स्वीकृत स्थिति है कि उपरोक्त नीति को न तो अपनाया गया है और न ही अनुमोदित किया गया है। दरअसल, चंडीगढ़ प्रशासन ने बैठक में प्रस्तावित नियमितीकरण नीति को अधिसूचित करने के लिए नगर निगम, चंडीगढ़ को अनुमति नहीं दी।

(9) विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा है कि याचिकाकर्ताओं को अब अस्थायी कर्मचारियों के दूसरे समूह से बदलने की मांग की जा रही है, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि नगर निगम, चंडीगढ़ ने 26.03.2021 को एक भर्ती नोटिस जारी किया था, जिसमें अस्थायी आधार पर पदों को भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिन्हें नियमित किए जाने की संभावना है। इस प्रकार, भर्ती सूचना में पर्याप्त संकेत हैं कि पदों को नियमित किये जाने की संभावना है। इस प्रकार, योग्य उम्मीदवारों को आवेदन करने और प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलेगा जो भारत के संविधान की आवश्यकता के अनुसार है।

(10) उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, इस पीठ को निर्देश जारी करना उचित नहीं लगता, जैसा कि रिट याचिका में प्रार्थना की गई है।

(11) अत: रिट याचिका को तत्काल खारिज किया जाता है।

_____

त्रिभुवन धैया

राजपाल सिंह
अनुवादक

अस्वीकरणः– स्थानिय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नही किया जा सका है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणित होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।